

R 4121-11-16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-शिवपुरी

कमल सिंह पुत्र श्री धनीराम निवासी-
वार्ड क्रं.1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के
सामने, नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

-- आवेदक

विरुद्ध

- 1- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद्
नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
- 2- धर्मेन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह,
- 3- अजीत सिंह पुत्र कमल सिंह,
- 4- नरेन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह,
- 5- देवीसिंह पुत्र भगवान सिंह
- 6- भूपेन्द्रसिंह पुत्र भगवान सिंह
- 7- देवेन्द्रसिंह पुत्र भगवानसिंह

समस्त निवासीगण वार्ड क्रं.1 सामुदायिक
स्वास्थ्य केन्द्र के सामने, नरवर,

जिला शिवपुरी (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

श्री. देवेंद्र सिंह
द्वारा आज दि. 5.12.16
प्रस्तुत

5-12-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Dehatwadi
05/12/16

672
5/12/16

न्यायालय तहसीलदार नरवर, जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक
01/2016-17/अ-13 में पारित आदेश दिनांक 25.11.2016 के विरुद्ध
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर
न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर नरवर परिषद् द्वारा एक
आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील नरवर के
न्यायालय में इस आशय से प्रस्तुत किया कि शासकीय मंदिर चबूतरा की
भूमि सर्वे नम्बर 665 एवं 666 पर सर्वे नम्बर 664/मिन-1, 664/मिन-2



3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :-निगरानी-4121-दो/2016

जिला-शिवपुरी

कमल सिंह विरुद्ध मुख्य नगर पालिका अधिकारी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार नरवर, जिला-शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 01/2016-17/अ-13 में पारित आदेश दिनांक 25-11-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 09-09-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p></p> <p> (जे0के0 जैन) सदस्य</p>	